मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-अप्रैल, 2006 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 17 फरवरी, 2006 (माघ 28, 1927)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवम् बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 (क्रमांक 18 सन् 2005) की धारा 12 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक 29-एफ-15-6-2005-चार-ब-आनिविई, दिनांक 30 जनवरी, 2006 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री हिम्मत कोठारी, वन मंत्री, मध्यप्रदेश लोक वानिकी अधिनियम, 2001 (क्रमांक 10 सन् 2001) की धारा 11 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-15-05-दस-2,दिनांक 18 जनवरी, 2006 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री नागेन्द्र सिंह, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का वर्ष 2004-2005 का अड़तालीसवां वार्षिक प्रतिवेदन (दिनांक 01.04.2004 से 31.03.2005) तथा वर्ष 2004-2005 का स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य, अशोक नगर जिले के चंदेरी नगर में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य, रीवा जिले के मऊगंज क्षेत्र अंतर्गत सिंचाई योजनाओं से सिंचाई हेतु पानी न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) पं. हरिचरण तिवारी, सदस्य, राजगढ़ जिले के -

(क) ग्राम छायन में उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,

(ख) ग्राम ढाबला से कालाकुण्डल तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(ग) नगर पंचायत खुजनेर की जल आवर्धन योजना प्रारम्भ कराये जाने, तथा

(घ) ग्राम खाजली में हाईस्कूल खोले जाने,

(2) श्री हुकुमचन्द यादव, सदस्य, खरगौन जिले के बड़वाह नगर के पास स्थित केडिया ग्रुप की शराब फैक्ट्री के दूषित जल से नर्मदा नदी को प्रदूषित होने से बचाये जाने,

(3) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम मोघना को क्वारी नदी के कटाव से बचाये जाने, एवं

(4) श्री बृजेन्द्र तिवारी, सदस्य, ग्वालियर जिले के -

(क) ग्राम मोहना से सिकरावली तक सड़क बनाये जाने,

(ख) ग्राम चैत देवरी से करहिया तक सड़क बनाये जाने,

(ग) ग्राम मोहना से ककेटा एवं ककेटा से दीवान फार्म तक सड़क बनाये जाने,

(घ) ग्राम जखोदा से सिकरावली तथा सिकरावली से दौरार तक सड़क बनाये जाने, तथा

(ङ) कुलैथ रोड बारादरी से कालाखेत तक सड़क बनाये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

-2-

5. राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री कैलाश चावला, सदस्य, द्वारा दिनांक 14 फरवरी, 2006 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा का पुनर्ग्रहण :-

"राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिये मध्यप्रदेश की विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं.".

निर्धारित समय

6. अशासकीय संकल्प

50 मि. (1) श्री लाल सिंह आर्य, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

" सदन का यह मत है कि प्रदेश में सफाई कामगार विकास प्राधिकरण का गठन किया जावे".

50 मि. (2) श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

"यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि भोपाल शहर के समस्त वार्डो को गैस प्रभावित घोषित किया जावे ".

50 मि. (3) श्री शरद जैन (एडव्होकेट), श्रीमती सरोज बच्चन नायक,डॉ. निशिथ पटेल,सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

" सदन का यह मत है कि धोबी/रजक जाति को सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के लिये अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया जावे ".

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक: 16 फरवरी, 2006